न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :— 08 / 2015

जी.सी.एम.एस. :— 2015 / 00079

अपीलांटस — बनाम — रेस्पोडेन्टस

अपीलांटस:
1. भारमल गौदपुत्र खंगारा
जाति–बिश्नोई, निवासी–सांकड़
तहसील व जिला–सांचौर

बनाम

रेस्पोडेन्टस:
1 सरपंच ग्राम पंचायत सांकड़
2 जीया पुत्री खंगारा पत्नी गणपतलाल
जाति–बिश्नोई, निवासी हाल–कुकावास
तहसील–बागोड़ा, जिला–सांचौर
3 गंगा पुत्री खंगारा पत्नी जगदीश
कौम–बिश्नोई, निवासी–नयावाड़ा,
तहसील–बागोड़ा, जिला–सांचौर
4 नेनु पुत्री खंगारा पत्नी हड़ुमानाराम
जाति–बिश्नोई, निवासी हाल–सेवाड़ा
तहसील–रानीवाड़ा, जिला–सांचौर
5 राजी पुत्री खंगारा पत्नी भुराराम
जाति–बिश्नोई, निवासी–लाछीवाड़
तहसील–सांचौर, जिला–सांचौर
6 पालु पुत्री खंगारा पत्नी जयकिशन
जाति–बिश्नोई, निवासी–लाछीवाड़
तहसील–सांचौर, जिला–सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट बनाराजगी आदेश नामान्तरकरण संख्या 1356 दिनांक 27.11.2015 कार्यालय ग्राम पंचायत सांकड़, पंचायत समिति–सरनाउ, तहसील–सांचौर

उपस्थिति :–
1. विद्वान अधिवक्ता वादी श्री भगवती प्रसाद बालोत, चेतन पुरोहित व भागीरथराम बिश्नोई।
2. रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 एकपक्षीय कार्यवाही।
3. विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया रेस्पोडेंट संख्या 02, 03, 5 व 6 उपस्थित।

तारीख रजु :— 28.10.2013

:— निर्णय :—

दिनांक :— 11.07.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता हेमा व खंगारा पिसरान–जगराम दोनों सगे भाई थे खंगारा के कोई जायंदा पुत्र नहीं होने से तथा उसकी पुत्रियां रेस्पोडेंटस संख्या 2 लगायत 6 अपने अपने ससुराल चले जाने से विगत कई वर्षों से खंगारा के सेवा चाकरी पक्ष में कोई नहीं होने से तथा खंगारा अपीलांटस का सगा चाचा होने से व खंगारा के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण अपीलांटस के कुटुम्बजनों को इकट्ठा कर विधिवत् पाग बंधवाकर गुड़ धाणें बांटकर गोद की रस्म अदाकर अपीलांट को दिनांक 06.06.1998 को विधिवत गोद लिया तथा अपीलांट के पक्ष में गोद नामा रजिस्टर किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:26 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के मृतक पिता खंगारा की मृत्यु दिनांक 2[illegible]201[illegible] को हुई तब अपीलांट ने गोदनामा सरपंच ग्राम पंचायत सांकड़ के समक्ष मृत्यु प्रमाण [illegible] सहित पेश किया किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या [illegible] स्वीकृत करते वक्त मात्र खंगारा की पुत्रियां जीया गंगा नेनु राजी व पालु के नाम उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया अपीलांट के नाम नामांतरकरण न भरकर अपीलांट के पिता स्व. खंगारा की खातेदारी के खेत वाके सरहद मौजा सांकड़ में खेत खसरा संख्या 77, 78, 78 / 2202, 79, 80, 81, 82, 83, 931, 932, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 973, 974, 1008, 1009, 1045 कुल खसरे 21

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

जुगले रकबा 16.94 है की भूमि में से खातेदारी में से वंचित कर भारी कानुनी एवं वाक्याती भूल की है।

अपीलांट के स्व. पिता खंगारा व अन्य की सहखातेदारी की आयी हुई है तथा अपीलांट व रेस्पोडेंटस सं 2 लगायत 6 का प्रत्येक का 1/6, 1/6 हिस्सा बनता है चुंकी अपीलांट स्व खंगारा का गोदपुत्र है तथा स्व खंगारा की मृत्युपरांत अपीलांट ने एक पुत्र की भांति उनका अंतिम संस्कार किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के प्रत्येक विवाह अवसर इत्यादि पर एक सगे भाई की भांति धर्म निभाया किन्तु सरपंच ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा को दरकिनार कर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण न भरकर उसे खातेदारी से वंचित कर कानुनी एवं वाक्याती भारी भूल की है इस कारण नामान्तरकरण संख्या 1356 दिनांक 27.11.2015 काबिल निरस्त है।

नामान्तरकरण संख्या 1356 स्वीकृती पूर्व में अपीलांट को स्वीकृत होने की जानकारी नहीं थी, परन्तु रेस्पोटडेंट स 2 लगायत 6 द्वारा अपीलांट के कब्जासुदा खेत में से बाहर निकलने की एलानियां धमकियां देने पर अपीलांट द्वारा दिनांक 30.11.2015 को तहसील कार्यालय से नकल प्राप्त करने पर अपीलांट को जानकारी हुई अतः अपील अन्दर म्याद पेश है अंत में अपीलांट ने अपील में निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 1356 दिनांक 27.11.2015 ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा स्वीकृत किया गया है, को निरस्त फरमावें।

अपीलांट की अपील वाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किये गये रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 की ओर से वकील श्री बाबुलाल पालड़िया ने जवाब पेश किया जो शामिल ही मिसल किया गया।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस अन्तिम सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट भारमल जो हेमाराम का जायन्दा पुत्र है तथा हेमाराम व खंगारा जगरामजी के पुत्र होने से खंगारा अपीलांट का सगा चाचा लगता है तथा स्व. खंगारा के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 स्व. खंगारा की पुत्रियां है तथा बालिग होने पर अपने अपने ससुराल चली गई तथा अपीलांट द्वारा खंगारा के जीवित रहते खंगारा की सेवा चाकरी की तथा कुटुम्बजनों ने इकट्ठा होकर हिन्दू धर्म व रीति रिवाज माफिक अपीलांट को पाग बंधवाकर व गुड़ धाने बांटकर खंगारा को गोद लिया गया जिसका अपीलांट के पक्ष में स्व. खंगारा ने दिनांक 06.06.1998 को गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया इस कारण अपीलांट स्व. खंगारा का हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी होने से स्व. खंगारा की संपति में अपीलांट का 1/6 हिस्सा बनता है, परन्तु अपीलांट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सांकड़ को रजिस्टर्ड गोदनामा व मृत्यु प्रमाण–पत्र इत्यादि आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1356 दिनांक 27.11.2015 मात्र रेस्पोडेंट संख्या 02 लगायत 06 के नाम स्वीकृत कर अपीलांट के नाम नामान्तरकरण नहीं भरकर अपीलांट को उसके 1/6 हिस्से की भूमि खातेदारी से वंचित कर दिया गया होने से ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1356 दिनांक 27.11.2015 काबिल निरस्त होने में उसे निरस्त फरमाया जावें तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 के साथ अपीलांट के नाम भी नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध [illegible] जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि दिनांक 06 [illegible] को गोद नहीं लिया गया है तथा पंजियन गोदनाम फर्जी व अवैध दस्तावेज है अपीलांट हेमाराम का पुत्र है तथा रेस्पोडेंट की जमीन हड़प करने की नियत से उक्त फर्जी व अवै[illegible]स्तावेज की रचना की है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 को उक्त अवैध गोदनामा की जानकारी होने पर रेस्पोडेंट द्वारा उक्त अवैध दस्तावेज को अवैध व प्रभाव शून्य व फर्जी करार निरस्त करने का नियमित दीवानी वाद सिविल अदालत में खिया देवी बनाम भारमल के नाम से पेश कर दिया गया है जो न्यायालय में लंबित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(न्यायालय अधिकारी, सांचोर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने वकील रेस्पोडेंट की बहस का प्रत्युतर देते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 द्वारा एक सिविल वाद अवश्य पेश किया गया था किन्तु उक्त वाद रेस्पोडेंट द्वारा पेश किया गया सिविल वाद दिनांक 25.11.2019 को खारिज हो चुका है वकील अपीलांट द्वारा उक्त सिविल वाद संख्या सी.ओ./16/2016 व सी.एम.18/2016 बअनवान जीयो बनाम भारमल वगैरह की नकलें पेश की।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज गोदनामा का अवलोकन किया गया उक्त गोदनामा दिनांक 06.06.1998 को उप पंजियन अधिकारी सांचौर के द्वारा पंजियन पाया जाता है तथा उक्त गोदनामा स्व खंगारा वल्द जगराम द्वारा अपीलाण्ट भारमल वल्द हेमा, जाति–बिश्नोई, निवासी–सांकड़ के नाम पंजिबद्व करवाया पाया जाता है तथा उक्त गोदनामा में स्व. खंगारा के अंगुष्ठ निशान की पहचान भागीरथराम पुत्र भींयाराम तथा भागीरथराम पुत्र हेमाराम व सदराम पुत्र भींयाराम द्वारा दी गई है इस प्रकार उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा से अपीलांट स्व. खंगारा वल्द जगराम का गोदपुत्र साबित है तथा हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत गोदपुत्र को प्रथम श्रेणी का उतराधिकारी माना जाने से स्व. खंगारा वल्द जगराम की संपति में खंगारा की मृत्यु उपरान्त गोदपुत्र का हक बनता है किन्तु ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1356 स्वीकृति दिनांक 27.11.2015 में अपीलांट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत ने कर भाग रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 6 के नाम स्वीकृत करने में कानुनी एवं वाक्याती भारी भूल करने से नामान्तरकरण संख्या 1356 स्वीकृति दिनांक 27.11.2015 ग्राम पंचायत सांकड़ निरस्त, योग्य होने से निरस्त किया जाता है।

:– आदेश :–

फलस्वरूप ग्राम पंचायत सांकड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1356 दिनांक 27.11.2015 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि वांके सरहद मौजा सांकड़ के खेत खसरा संख्या 77, 78, 78/2202, 79 लगायत 83, 931, 932, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 973, 974, 1008, 1009, 1045 जुमले रकबा 16.94 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 लगायात 6 व अपीलांट भारमल गोदपुत्र खंगारा, जाति–बिश्नोई, निवासी–सांकड़ के नाम नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत करें। उक्त आशय की तहरीर तहसीलदार सांचौर के नाम पृथक से जारी हो।

(श्री प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

सहायक कलक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

कलक्टर-सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:34:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner